शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011

दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्र. / राशिके / योजना / AWP-2019—20 / 2020 / 8172 भोपाल दिनांक : 20/12/2019

प्रति

कलेक्टर,
समस्त जिलें
मध्यप्रदेश

विषय : समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत (सर्व शिक्षा अभियान एवं शिक्षक शिक्षा) की वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2020—21 निर्माण प्रारंभ करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत (सर्व शिक्षा अभियान एवं शिक्षक शिक्षा) की वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2020—21 निर्माण प्रारंभ करने के संबंध में यह पत्र जारी किया जा रहा है। इसी अनुक्रम में बैठक आयोजित कर जिला स्तर पर वार्षिक कार्य योजना एवं बजट वर्ष 2019—20 में स्वीकृत समस्त गतिविधियों के क्रियान्वयन की समीक्षा कर अपूर्ण एवं अप्रारंभ गतिविधियाँ समय सीमा में पूर्ण की जायें। तत्पश्चात वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2020—21 का निर्माण प्रारंभ किया जाना होगा। वार्षिक कार्य योजना निर्माण के लिए जिला स्तर पर निम्नानुसार टीम का गठन किया जाये।

(1) **जिला स्तर पर टीम का गठन** — जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अध्यक्षता में जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग, प्राचार्य डाईट जिला परियोजना समन्वयक, सहायक परियोजना समन्वयक (ईएण्डआर) (अकादमिक), (जेण्डर) (वित्त), प्रोग्रामर सहायक यंत्री (निर्माण) एवं गुणवत्ता कार्य देख रहें डाईट प्रभारी।

(2) **विकासखण्ड स्तर पर टीम का गठन** — विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में विकास खण्ड स्त्रोत समन्वयक, विकासखण्ड अकादमिक समन्वयक, एम.आई.एस. समन्वयक, आई.ई.डी., जेण्डर समन्वयक, उपयंत्री, स्त्रोत शिक्षक।

(3) **संकुल स्तर पर टीम का गठन** — संकुल प्रभारी प्राचार्य की अध्यक्षता में प्रधान पाठक, मा.वि. जन शिक्षक एवं प्राधान पाठक प्रा.वि. एवं स्त्रोत शिक्षक।

उपरोक्त टीमों के गठन का आदेश आपके स्तर से किये जाने का अनुरोध है। 15 जनवरी, 2020 तक जिला, ब्लाक एवं संकुल स्तर पर गठित टीमों की बैठक आयोजित कर वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2020—21 के निर्माण की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत चर्चा निम्नानुसार बिन्दुओं पर की जावे।

- शिक्षा के अधिकार अधिनियम के मापदण्ड पूर्ण करने के संबंध में।
- शाला प्रबंध समितियों के बैठक में शाला विकास योजना निर्माण की प्रक्रिया भी सम्मिलित करें।
- ग्राम शिक्षा योजना बनाने के लिए शाला विकास योजना में सम्मिलित गतिविधियों को आधार बनाया जाये एवं बैठक में जानकारी से अवगत कराया जाये।
- प्रत्येक घटक की आवश्यकता का आंकलन एवं प्राथमिकताओं का स्पष्ट उल्लेख किया जाए।
- वर्ष 2020—21 की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट (AWP&B) का निर्माण डाईस डाटा 2019—20 से किया जाना है, अतः इसके महत्व को दृष्टिगत रखते हुए यह सुनिश्चित करे कि जिले का पूर्ण एवं सही DISE डाटा 2019—20 तैयार रहे। जिला स्तर पर यह अवश्य चेक कर लें कि :—
  1. डाईस डाटा से CWSN के नामांकन की रिपोर्ट निकाल कर इसका मिलान एजूकेशन पोर्टल की चाइल्ड— वाईज जानकारी से जरुर करलें। MRC/APC (IED) यह सुनिश्चित करने कि लक्ष्य के अनुरूप सभी CWSN बच्चों की प्रविष्टि पोर्टल एवं DISE में सामान रूप से किया जाये।
  2. DISE में RTE के तहत फ़ीस प्रतिपूर्ति की जानकारी का मिलान पोर्टल पर होना आवश्यक है।

3. सहायक यंत्री एवं उपयंत्री DISE डाटा में अंकित शौचालय विहीन और Dysfunctional (अनुपयोगी) शौचालय वाले स्कूलों का भौतिक सत्यापन कर इसे प्रमाणित किया जाये।
4. सहायक यंत्री एवं उपयंत्री DISE डाटा में अंकित भौतिक सुविधाओं में कमी/गैप की जानकारी का शाला–वार जाँच कर लें। जिले की (AWP&B) में उल्लेखित गैप (Gap) जैसे Electricity, क्लास–रूम, शौचालय, Boundary wall, Major and Minor repair, CAL (हेड स्टार्ट एवं स्मार्ट क्लास) इत्यादि का डायस डाटा से मिलान आवश्यक है।

- विगत वर्ष में नामांकन में आ रही कमी एवं कक्षावार शाला त्यागी बच्चों पर विस्तृत चर्चा एवं विश्लेषण किया जाये।
- शाला पहुँच की स्थिति का आंकलन, नवीन शालाओं की आवश्यकता की योजना एवं शालाओं के युक्तियुक्तकरण की स्थिति वर्ष 2019 में चिन्हित शालाओं से बाहर के बच्चों एवं CWSN बच्चों की संख्या।
- एक शाला–एक परिसर की अद्यतन स्थिति की समीक्षा कर विस्तृत योजना बनाते हुए वार्षिक कार्ययोजना 2020–21 में सम्मिलित करें।
- वर्ष 2019–20 के अप्रारंभ एवं अपूर्ण निर्माण तथा वर्ष 2020–21 के कार्य प्रारंभ के संबंध में।
- शिक्षा की गुणवत्ता हेतु किए गए प्रयास एवं उसकी आगामी योजना के प्रारूप के संबंध में।
- जिले द्वारा किए गए श्रेष्ठ कार्यों (Success Story) का संकलन एवं प्रस्तुतिकरण।
- जिलें में अन्य विभाग से सामजस्य कर शाला की बेहतरी के लिये अन्य विभाग से किये जाने वाले कार्यों का समावेश किया जाये।
- प्रणाम पाठशाला–विद्यालय उपहार योजना के माध्यम से शालाओं की आवश्यकता की पूर्ति की योजना।
- समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रारंभिक शिक्षा (कक्षा 1 से 8) एवं शिक्षक शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना के समस्त डाटा टेबल, सफलता की कहानी एवं बजट सहित प्रस्ताव तैयार कर ई–मेल के माध्यम से योजना कक्ष एवं जिलें के प्लान ओ.आई.सी. को अनिवार्य रूप से भेजी जाये।
- समग्र शिक्षा अभियान अन्तर्गत कक्षा 9 से 12 की वार्षिक कार्ययोजना का निर्माण जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से होगा।
- समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षक शिक्षा एवं प्रारंभिक शिक्षा (कक्षा 1 से 8) की वार्षिक कार्ययोजना की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी को भी उपलब्ध कराने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।

वार्षिक कार्ययोजना निर्माण समितियों द्वारा लिए गये निर्णय के बिन्दुओं पर ग्राम शिक्षा योजना, संकुल शिक्षा केन्द्र योजना एवं विकास खण्ड शिक्षा योजना का निर्माण किया जाना है। जिसे जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा जिलें के प्रभारी मंत्री, माननीय सांसद, समस्त माननीय विधायक एवं जन प्रतिनिधियों से भी वार्षिक कार्य योजना के प्रस्ताव/सुझाव प्राप्त कर इस वर्ष की आवश्यकताओं का आकलन कर प्राथमिकता तय करना है तथा **वार्षिक कार्य योजना के बिन्दुओं पर जिला समग्र शिक्षा अभियान की योजना सूक्ष्म नियोजन प्रक्रिया के आधार पर पूर्ण की जाए। योजना निर्माण में समस्त नगरीय निकाय, नगर पालिका एवं नगर निगम के अधिकारियों का सहयोग लेकर शिक्षा योजना निर्माण किया जाये।**

भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय से समय–समय पर प्राप्त निर्देश से यथा समय आपको अवगत कराया जायेगा। जिला वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2019–20 का निर्माण कार्य प्रारंभ करना सुनिश्चित करें।

(आईरिन सिंथिया जे.पी.)
संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल

क्र./राशिके/योजना/AWP-2019–20/2020/8173 भोपाल दिनांक : 20/12/19

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. शासन की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. भोपाल की सूचनार्थ।
3. आयुक्त आदिवासी विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।
4. संभागीय आयुक्त समस्त संभाग की ओर सूचनार्थ।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला समस्त जिलों की ओर आवश्यक कार्रवाई हेतु।
6. आयुक्त नगर निगम समस्त की ओर आवश्यक कार्रवाई हेतु।
7. मुख्य नगर पालिका अधिकारी समस्त की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, समस्त संभाग म.प्र. की ओर आवश्यक कार्रवाई हेतु।
9. जिला शिक्षा अधिकारी/सहा. आयुक्त, समस्त जिला, म.प्र. की ओर आवश्यक हेतु प्रेषित।
10. प्राचार्य डाईट समस्त जिले म.प्र. की ओर आवश्यक कार्रवाई हेतु।
11. जिला परियेाजना समन्वयक, जिला समस्त जिले म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाई हेतु।
12. समस्त प्लान ओ.आई.सी., राज्य शिक्षा केन्द्र की ओर निर्देशित है कि जिले की वार्षिक कार्य योजना पूर्ण कर योजना कक्ष में जमा करावें।
13. समस्त घटक प्रभारी राज्य शिक्षा केन्द्र की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु।
14. www.educationportal.mp.gov.in पर अपलोड हेतु।

संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल